

भारतीय रेल सम्मेलन
माल भाड़ा दर सूची सं. 48, भाग - I (जिल्द - II)
शुद्धि पत्र सं. 04 दिनांक 27, ज्येष्ठ 1937

I.R.C.A.
Goods Tariff No. 48, Part I (Vol. II)
Correction Slip No. 04 Dated 17.06.2015

प्राधिकरण: - रेलवे बोर्ड का पत्र सं. टीसीआर/1078/2015/07, दिनांक 22.05.2015
(दर परिपत्र - 08/2015 का शुद्धि पत्र सं. 05)

निम्नलिखित परिवर्धन किए गए हैं: -

शुद्धि पत्र सं. पृष्ठ - 16, सामान्य माल का वर्गीकरण - समूह क्रम संख्या 14.1 के अंतर्गत दर्शायी गयी
04 दिनांक प्रविष्टि "लौह अयस्क" में "(*)" का चिन्ह लगाए तथा अन्त में निम्नलिखित नोट को
27, ज्येष्ठ 1937 सन्निविष्ट करे: -

"नोट: - (*) लौह अयस्क के निर्यात के मामले में, दूरी पर आधारित अधिभार जो कि समय -
समय पर अधिसूचित किया जाता है, अतिरिक्त रूप से प्रभारित होगा।"

---x---

Authority: - Railway Board's letter No. TCR/1078/2015/07, dated 22.05.2015
(Corr. - 05 to RC - 08/2015)

The following additions are hereby made: -

C.S. No. 04 Page - 16, General Classification of Goods, Group No. 14.1 - In the existing entry of
of "IRON ORE" put a mark "(*)" and insert the following note in the end: -
17.06.2015

"Note: - (*) In case of Iron ore for export, Distance based charge as notified from time
to time, will be levied additionally."

नई दिल्ली/ New Delhi

दिनांक: 27, ज्येष्ठ 1937
Dated: 17.06.2015


सुधेन्दु जे. सिन्हा भा.रे.या.स.
महासचिव
Sudhendu J. Sinha IRTS
Secretary General